Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 66-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 7, 2025
(CHAITRA 17, 1947 SAKA)

LEGISLATIVE SUPPLEMENT

CONTENTS

		PAGES
PART-I	**ACTS**	
	THE PANCHKULA METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 2025.	63—64
	(HARYANA ACT NO. 7 OF 2025).	
PART-II	**ORDINANCES**	
	NIL	
PART-III	**DELEGATED LEGISLATION**	
	NIL	
PART-IV	**CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS**	
	NIL	

PART-I

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 7th April, 2025

No. Leg. 8/2025.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 31st March, 2025 and is hereby published for general information:-

HARYANA ACT NO. 7 OF 2025

THE PANCHKULA METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 2025

AN

ACT

further to amend the Panchkula Metropolitan Development Authority Act, 2021.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Panchkula Metropolitan Development Authority (Amendment) Act, 2025.

Amendment of section 2 of Haryana Act 23 of 2021.

2. In section 2 of the Panchkula Metropolitan Development Authority Act, 2021 (hereinafter called the principal Act),-

(i) in clause (w) of sub-section (1), after the words and sign "Municipal Corporation, Panchkula", the words and sign "and the Municipal Council, Kalka" shall be inserted; and

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) or the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953) or the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) or the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) or the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and not inconsistent with this Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.".

Amendment of section 3 of Haryana Act 23 of 2021.

3. After clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) Municipal Council, Kalka;".

Amendment of section 5 of Haryana Act 23 of 2021.

4. In section 5 of the principal Act, -

(i) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(gg) Chairman, Municipal Council, Kalka, ex-officio member;";

(ii) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:-

"(pp) District Municipal Commissioner, Panchkula, ex-officio member;".

Amendment of section 11 of Haryana Act 23 of 2021.

5. After clause (a) of sub-section (2) of section 11 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) District Municipal Commissioner, Panchkula, ex-officio member;".

Amendment of section 15 of Haryana Act 23 of 2021.

6. In section 15 of the principal Act, after the brackets, words and figures "(Punjab Act 41 of 1963)", the words, brackets, sign and figures "and the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953)" shall be inserted.

Amendment of section 17 of Haryana Act 23 of 2021.

7. For the proviso to sub-section (1) of section 17 of the principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that such infrastructure plan shall be in conformity with the final plans published under sub-section (7) of section 5 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and under section 4 of the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953).".

Amendment of section 21 of Haryana Act 23 of 2021.

8. In section 21 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), after the words and sign "Deputy Commissioner, Panchkula", the words and signs, ", District Municipal Commissioner, Panchkula" shall be inserted;

(ii) in clause (f) of sub-section (2), after the words and sign "Commissioner of Police, Panchkula", the words and signs, ", the District Municipal Commissioner, Panchkula" shall be inserted;

(iii) in sub-section (6), after the words and sign "Commissioner of Police, Panchkula" the words and signs, ", District Municipal Commissioner, Panchkula" shall be inserted; and

(iv) in sub-section (7), after the brackets, figures and word "(16 of 1994)" the words, sign, figures and brackets "and the Municipal Council, Kalka under section 172 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973)" shall be inserted.

Amendment of section 23 of Haryana Act 23 of 2021.

9. In section 23 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), after the words and sign "Commissioner of the Municipal Corporation, Panchkula", the words and signs ", District Municipal Commissioner, Panchkula" shall be inserted; and

(ii) in sub-section (7), after the words and sign "the Municipal Corporation, Panchkula", the words and sign "or the Municipal Council, Kalka" shall be inserted.

Amendment of section 25 of Haryana Act 23 of 2021.

10. For clause (g) of section 25 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(g) to ascertain whether any land or property is being or has been developed in accordance with the final development plan published under sub-section (7) of section 5 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) or under section 4 of the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953) or the terms and conditions under which development has been permitted under the provisions of said Acts, as the case may be; ".

Amendment of section 33 of Haryana Act 23 of 2021.

11. In sub-section (1) of section 33 of the principal Act,-

(i) in clause (d), after the words and sign "the Municipal Corporation, Panchkula", the words and sign "and the Municipal Council, Kalka" shall be inserted; and

(ii) in clause (e), after the words and sign "the Municipal Corporation, Panchkula", the words and sign "and the Municipal Council, Kalka" shall be inserted.

Amendment of section 42 of Haryana Act 23 of 2021.

12. For sub-section (4) of section 42 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) The Authority shall receive the conversion charges payable under sub-sections (1) and (1A) of section 7 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and under section 11 of the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953).".

Amendment of section 53 of Haryana Act 23 of 2021.

13. In section 53 of the principal Act, after the brackets, words and figures "(Punjab Act 41 of 1963)", the words, brackets, figures and sign ", the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953)" shall be inserted.

RITU GARG,
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

11793—L.R.—H.G.P., Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 88-2025/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 15 मई, 2025
(25 वैशाख, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)। (केवल हिन्दी में)	105—107
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 मई, 2025

संख्या लैज. 8/2025.– दि पंचकूला मेट्रोपोलिटन डिवेलपमेन्ट अथोरिटी (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 07 मई, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 2 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) के खण्ड (ब) में, ''नगर निगम, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''और नगर परिषद्, कालका'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) या हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में परिभाषित और इस अधिनियम से अन्असंगत शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः उस अधिनियम में दिए गए हैं।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 3 का संशोधन।

"(कक) नगर परिषद्, कालका;''।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 5 का संशोधन।

(i) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(छछ) अध्यक्ष, नगर परिषद्, कालका, पदेन सदस्य;'';

(ii) खण्ड (त) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(तत) जिला नगर आयुक्त, पंचकूला, पदेन सदस्य;''।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 11 का संशोधन।

"(कक) जिला नगर आयुक्त, पंचकूला, पदेन सदस्य;''।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 15 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में, ''(1963 का पंजाब अधिनियम 41)'' कोष्ठकों, अंकों, तथा शब्दों के बाद, ''और हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1)'' शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 17 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु ऐसी अवसंरचना योजना, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन तथा हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन प्रकाशित अन्तिम योजनाओं के अनुरूप होगी।''।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 21 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में,–

(i) उप–धारा (1) में, ''उपायुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, '', जिला नगर आयुक्त, पंचकूला'' चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप–धारा (2) के खण्ड (च) में, ''पुलिस आयुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, '', जिला नगर आयुक्त, पंचकूला'' चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप–धारा (6) में, ''पुलिस आयुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, '', जिला नगर आयुक्त, पंचकूला'' चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे; तथा

(iv) उप–धारा (7) में, ''नगर निगम आयुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 172 के अधीन नगर परिषद्, कालका'' शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 23 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 में,–

(i) उप–धारा (1) में, ''नगर निगम आयुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद,'', जिला नगर आयुक्त, पंचकूला'' चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (7) में, ''नगर निगम, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''या नगर परिषद्, कालका'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 25 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(छ) सुनिश्चित करना कि क्या हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन या हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन प्रकाशित अन्तिम विकास योजना या ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जिनके अधीन उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन विकास अनुमत किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार किसी भूमि या सम्पत्ति को विकसित किया जा रहा है या किया गया है;''।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 33 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (1) में,–

(i) खण्ड (घ) में, ''नगर निगम, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''और नगर परिषद्, कालका'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे; तथा

(ii) खण्ड (ङ) में, ''नगर निगम, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''और नगर परिषद्, कालका'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 42 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(4) प्राधिकरण, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 7 की उप–धारा (1) तथा (1क) के अधीन और हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 11 के अधीन भुगतानयोग्य परिवर्तन प्रभार प्राप्त करेगा।''।

13. मूल अधिनियम की धारा 53 में, ''(1963 का पंजाब अधिनियम 41)'' कोष्ठकों, अंकों तथा शब्दों के बाद, '',हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1)'' शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक रखे जाएंगे। 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 53 का संशोधन।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

11863—L.R.—H.G.P., Pkl.